

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी - हरिताम कुमार आदित्य आर.एस.

मु0 नं0 - 509/2016

प्रकरण दर्ज - 7.10.2016

प्रकरण निस्तारण - 15.1.2020

अनुवानी प्रकरण

1. रामसिंह पुत्र चन्दूलाल जाति गुर्जर निवासी पांचोली तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।
2. रामस्वरूप पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।
3. कम्पूरी पत्नी हीरालाल सैनी जाति माली निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

- वादीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र रामजीलाल
2. खिलाडी पुत्र रामजीलाल
3. कौशल्या पत्नी रामजीलाल
समस्त जाति माली निवासी धूलकोट तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक -15.1.2020


पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 22,23,24,25,26 कुल किता 5 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर वाके रामा निकटपुरी तहसील सिकराय मे स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2019 को वाके रामा निकटपुरी तहसील सिकराय मे स्थित खसरा नंबर 22,23,24,25,26 कुल किता 5 कुल रकबा 2.29 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार सिकराय को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सिकराय ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध मे अपने पत्रांक भू.अ./2020/96 दिनांक 14.1.2020 द्वारा कुरेजात पेश किये। बटवारा रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वकील उभयपक्ष ने बटवारा दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

31
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

विद्वान वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 24 रकबा 0.01 है, 25 रकबा 0.29 है, 23/2 रकबा 0.11 है, 23/4 रकबा 0.18 है, 26/1 रकबा 0.88 है कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 है भूमि अमरसिंह खिलाडी पि० रामजीलाल कौशलया पत्नी रामजीलाल जाति माली सा.देह. खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 22 रकबा 0.01 है, 23/3 रकबा 0.73 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 है भूमि कम्पूरी पत्नी हीरालाल जाति माली भूमि सा.देह खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 23/1 रकबा 0.05 है, 26/2 रकबा 0.03 है कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है भूमि अमरसिंह खिलाडी पि० रामजीलाल कौशलया पत्नी रामजीलाल हिस्सा 2/3 एवं कम्पूरी देवी पत्नी हीरालाल हिस्सा 1/3 जाति माली सा.देह खातेदार हिस्सा रहेगा। कुरेजात डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



15/1/2020
 उपखण्ड अधिकारी
 हरिनाथ कुमार आदिवा
 सिकराय जिला-दोसा
 उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

3/1/20

डिक्री मुकदमा इज्जतदार

(ओ. 20 रूल 6-7 जास्ता दीवानी)


जजदार स्टाम्प अर्जी मुकदमा इज्जतदार
 नाम डी हरिजी वरु गोरिल काउ
 पति का नाम रामलाल खरर लाल वनाम 1- गोरु पति का समीपना
 ने रुपये दावा बावत रमाता 2- खिलारी का समीपना
 प्रामुख्य समीपना मुकदमा नं 509/16 सान 3- बीरलाल पति समीपना
 1- समान गोरु गोरु पति

रहित
गोरी
लाली
दुलारी
पति

जजारी डी K. गीत रंज गिनजानिव मुदई रुबरु डी नरजीलाल गीत रंज

गिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व जियरी दी जाती है कि
डी नरजीलाल गीत रंज के मुकदमा 12/11/96 से 15-1-20 तक अपना
जमाना डी नरजीलाल गीत रंज के मुकदमा 12/11/96 से 15-1-20 तक अपना

मुतलिव बावत
 जे इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी आज की तारीख से
 रख अदायगी तक का अदा करे।



15-1-20
 माह जन सन 20
अपखण्ड अधिकारी
ओहदतिकाय जिला-दौसा

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी नाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प अर्जी समूह			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशन			फीस कमिशनर		
बावत इजराय हुकमनामा			बावत इजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		